भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3688

उत्तर दिनांक 03/04/2025 को दिया गया

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा

3688. श्री संत बलबीर सिंह

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और स्थापनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय और नयाचार क्रियान्वित किए जा रहे हैं और इनकी निगरानी किस प्रकार की जा रही है;

(ख) क्या मंत्रालय परमाणु प्रौद्योगिकी और ऊर्जा उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या साझेदारी कर रहा है; और

(ग) क्या मंत्रालय की परमाणु ऊर्जा के लाभों और सुरक्षा के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ आम जनता की चिंताओं को दूर करने की कोई योजना है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) एनपीसीआईएल में नाभिकीय ऊर्जा के सभी पहलुओं - स्थल चयन, अभिकल्प, निर्माण, कमीशनन एवं प्रचालन में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) की संहिताओं और दिशा-निर्देशों के अनुरूप नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का अभिकल्प पुनरावृत्ति तथा विविधता के संरक्षा सिद्धांतों को अपनाते हुए किया जाता है और गहन संरक्षा सिद्धांत का अनुपालन करते हुए 'विफल-संरक्षित (फेल-सेफ)' अभिकल्प विशेषताएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इनका प्रचालन उच्चतम योग्य, प्रशिक्षित और लाइसेंस प्राप्त कर्मियों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाते हुए किया जाता है। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में कार्यरत सभी कार्मिकों को उपयुक्त वैयक्तिक संरक्षण उपकरण और निगरानी सहायता प्रदान की जाती है। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की संरक्षा पर एईआरबी निरंतर निगरानी और समीक्षा करता है।

(ख) भारत बहुपक्षीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) का सदस्य देश है और विभाग के वैज्ञानिक अधिकारी ज्ञान साझा करने के लिए उन्नत नाभिकीय प्रौद्योगिकी विकास पर आईएईए द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग ले रहे हैं।

(ग) एनपीसीआईएल द्वारा जागरूकता फैलाने और लोगों की आशंकाओं को विश्वसनीय और आसानी से समझने योग्य तरीके से दूर करने के लिए एक योजित बहुआयामी दृष्टिकोण पर आधारित वृहद् जन-जागरूकता और संपर्क कार्यक्रम को लागू किया गया है।

*****